



# सूक्ष्म उद्यम / अक्षय उद्यम

करते पाते, श्रमशासन व लघु वित्तियोग्य कर्तव्य  
वित्तियोग्य कर्तव्य व लघु वित्तियोग्य कर्तव्य  
वित्तियोग्य कर्तव्य व लघु वित्तियोग्य कर्तव्य  
वित्तियोग्य कर्तव्य व लघु वित्तियोग्य कर्तव्य

सूक्ष्म उद्यम (Small Enterprise) का अर्थ है कि जिस  
उद्यम में न्यूनतम 10 (दस) लोग कार्य करते हैं।  
(Sustainable Economy) - सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित  
करना और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना।  
सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।  
सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।

सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।  
सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।  
सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।

सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।  
सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार  
द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं।